KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

2 . अपीलीय क्षेत्राधिकार Appellate Jurisdiction (अनु 132 -134)

1. दीवानी मामला जिसमे उच्च न्यायालय के दिए निर्णय में विधि का प्रश्न अंतर्निहित हो और SC में अपील का प्रमाण पत्र हो तो SC जा सकते है। Appellate Jurisdiction - 1. In a civil case where a question of law is involved in the decision of the High Court and the certificate of appeal in SC is eligible, then SC can go.

2. आपराधिक मामले में जब - In a criminal case when -

A. किसी मामले में निचली अदालत ने निर्दोष करार दिया हो और उसी मामले के लिए HC मृत्युदंड दे दें। The lower court has declared the person innocent in a case and the HC awards death penalty for the same case.

B. किसी मामले में निचली अदालत में चल रहे मामले HC अपने पास मगाकर मृत्युदंड दे दें। In a case, the HC calls the case pending in the lower court to itself and awards death penalty.

3. आपराधिक मामले में HC विधि के प्रश्न अंतर्निहित होने के कारण अपील का प्रमाणपत्र देकर SC भेज सकेगा। In a criminal case, the HC can send the appeal to SC by giving a certificate of appeal as the question of law is involved.

अनु 136- विशेष इज़ाज़त से अपील - special leave petition –

सैन्य न्यायलय के निर्णय को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय, देश की सर्वोच्च अदालत को विशेष अनुमति देने , किसी भी मामले या कारण से पारित या किए गए किसी भी फैसले या आदेश या डिक्री के खिलाफ अपील करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है।

Special power to grant special leave to the Supreme Court, the highest court of the country, to appeal against any judgment or order or decree passed or made in any case or cause, other than the decision of a military court. Offers. Courts/Tribunals within the territory of India.

अनु 143 - राष्ट्रपति का सलाहकारी अधिकार - Advisory power of the President

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश से सलाह ले सकता है , लेकिन मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। The President may seek advice from the Chief Justice of the Supreme Court, but the Chief Justice will not be bound to give advice.

यदि मामला संविधान लागु होने के पहले का हो तो मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य होगा। If the matter is before the implementation of the Constitution, the Chief Justice will be bound to give advice.

यदि मामला राजनैतिक हो तो सलाह नहीं देगा। Will not give advice if the matter is political.

अनु 137 - न्यायिक पुनरावलोकन Judicial Review- -

उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व में दिए निर्णय को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा। The Supreme Court may revoke or alter any judgment given by it.

द्वारा बनाए गए किसी भी कानून,प्रावधान या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। Subject to any law, provision made by the State or any rule made under article 145, the Supreme Court shall have the power to review any judgment passed or order made by it.

अनु 138 - सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती हैं, The Supreme Court shall have such additional jurisdiction and powers in respect of any matter as the Government of India and the Government of a State may by special agreement confer,

अनु 139 - संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा , प्रतिषेध और उत्प्रेषण है। Parliament may by law confer power on the Supreme Court to issue writs, including habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition and certiorari.

अनु 125 - न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों, और अन्य लाभों से जुड़ा है. न्यायाधीशों को न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और सुरक्षा मिले. Deals with salaries, allowances, and other benefits of judges. Judges should get adequate financial support and security to maintain the principles of justice and independence.

अनु 126- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति Appointment of Acting Chief Justice -

जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हो या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा When the Chief Justice is absent or unable to perform the duties, another senior judge will be appointed by the President. .

CJI की नियुक्ति :
→ अनु 124

अनु 127 - तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति Appointment of ad hoc Judges –
↳ संविदा / Ad-hoc

SC

जब उच्चतम न्यायालय में न्यायधिशो की गण पूर्ति संख्या पूर्ण नहीं हो रहा हो तो , उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्य ब्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

When the quorum of Judges in the Supreme Court is not sufficient, the Chief Justice of the Supreme Court may, with the prior permission of the President, appoint a person qualified to be a Judge of the Supreme Court as an ad hoc Judge.

अनु 128 - अतिरिक्त न्यायधिशो की नियुक्ति Appointment of additional judges –

- जब उच्चतम न्यायालय में मामलो की संख्या में अत्यधिक बृदधि हो तो मामले के निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों से कार्य की सिफारिस क्र सकते है।

When there is a huge increase in the number of cases in the Supreme Court, the Chief Justice of the Supreme Court can recommend work to former judges of the Supreme Court with the prior permission of the President to settle the case.

अनु. 129 अभिलेख न्यायालय Court of Record - - उच्चतम न्यायालय की अवमानना करने वाले को वह स्वयं दण्डित कर सकेगा। It can itself punish the person who commits contempt of the Supreme Court.
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्य न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। The decision given by the Supreme Court can be presented as evidence in other courts.

अनु 142 -सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति - Discretionary power of the Supreme Court –

सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो।
The Supreme Court may, in exercise of its powers, make such decree or order as may be necessary for doing complete justice in any case pending before it.

अनु 144 -सभी नागरिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना चाहिए। All civil authorities should act in aid of the Supreme Court.

उच्च न्यायालय High Court

HIGH COURT OF INDIA

अनु 214 - भारत के सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा , जो की एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य उतने ही न्यायाधीशों से बनेगा जितना राष्ट्रपति नियुक्त करें।

There shall be a High Court for all the States of India which shall consist of the Chief Justice and such number of other Judges as the President may appoint.

↳ HC - 25.

प्रथम. HC - कलकत्ता - 1862.

(25) (वाँ) अंतिम HC → आन्ध्रप्रदेश - अमरावती

योग्यता Qualification –

1. भारत का नागरिक हो। Should be a citizen of India.
2. उच्च न्यायालय के वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। Should have at least 10 years experience as an advocate of a High Court.

या OR

3. भारत के न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। Should have at least 10 years experience as an advocate in a court of India.

नियुक्ति Appointment - राष्ट्रपति के द्वारा By the President

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।The Chief Justice of the High Court is appointed by the President after consultation with the collegiums of five senior-most judges.

कार्यकाल Tenure–

1. अधिकतम 62 वर्ष तक। Up to a maximum of 62 years.
2. राष्ट्रपति की त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है।The President can resign from his post.
3. साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर संसद की दोनों सदनों के द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पद से हटा सकता है।On the basis of proven misbehavior or constitutional incapacity, the President can be removed from the post on a resolution passed by both the houses of the Parliament with a two-thirds majority.

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार Jurisdiction of High Court- -

1. प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार Primary or original jurisdiction
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार Appellate jurisdiction

प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार - संसद, विधानमण्डल, नगरनिगम के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जायेगा। Primary or original jurisdiction- Disputes related to elections of Parliament, Legislature, Municipality will be settled by the High Court.

अपीलीय क्षेत्राधिकार- जीला (जिला) न्ययालय में चल रहे सभी मामलों की सुनवाई कर सकेगा। Appellate jurisdiction- It can hear all the cases pending in the District Court. अर्थात जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते है। That is, one can appeal against the decision of the District Court.

अनु 215 -प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a Court, including the power to punish for contempt of itself.

अनु 226 - प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास मूल अधिकार के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति होगी।

बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , अधिकार पृच्छा , प्रतिषेध और उत्प्रेषण।

Every High Court shall have the power to issue five types of writs for the protection of Fundamental Rights. Habeas Corpus, Mandamus, Quo Warranto, Prohibition and Certiorari.

उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण GK
Important GK related to High Court

- सबसे पहले HC कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 1862 में खोला गया।The first HC was opened in Calcutta, Bombay and Madras in 1862.
- सबसे अधिक क्षेत्राधिकार वाला HC गुवाहाटी है।The HC with the largest jurisdiction is Guwahati. → असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड.
- सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला HC इलाहाबाद है।The HC with the largest number of judges is Allahabad. → 165 न्यायाधीश प्रस्तावित.
- दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो संघ शासित राज्य जिनका अपना HC है। The two union territories Delhi and Jammu and Kashmir have their own HC.
- चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा दो राज्यों का HC है। The two states Punjab and Haryana have HC in Chandigarh.

➢अंदमान निकोबार द्वीप समूह का HC कलकत्ता है। The HC of Andaman and Nicobar Islands is Calcutta.

➢लक्षद्वीप का HC अर्नाकुलम केरल है।The HC of Lakshadweep is Ernakulam, Kerala.

➢पुड्डुचेरी का HC मद्रास है। The HC of Puducherry is Madras.

➢गोवा और दादरा नगर हवेली दमन दीव का HC बम्बई है।The HC of Goa and Dadra Nagar Haveli Daman and Diu is Bombay.

➢उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश - न्यायमूर्ति फातिमा बीबी
First woman judge of the Supreme Court - Justice Fatima Bibi

➢उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश- अन्ना चांडी
First woman judge of the High Court - Anna Chandy

➢ उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश - लीला सेठ
First woman Chief Justice of the High Court - Leela Seth

जिला एवं सत्र न्यायालय District and Sessions Court

अनु 233 जिला एवं सत्र न्यायालय District and Sessions Court

↳ दिवानी ↳ अपराधिक / फौजदारी

एक ही परिसर में जब दीवानी मामले की सुनवाई की जाती है तो उसे जिला न्यायालय , और जब अपराधिक मामले की सुनवाई किया जाता है तो उसे सत्र न्यायालय कहते है।
When a civil case is heard in the same premises then it is called District Court, and when a criminal case is heard then it is called Sessions Court.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है।
District and Sessions Judge is the highest judicial officer of the district.

इसकी न्युक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
His appointment is done by the Governor.

ऐसा व्यक्ति जिसे जिला न्यायालय में 7 वर्ष तक के अधिवक्ता का अनुभव हो , राज्यपाल जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेगा। A person who has experience of 7 years as an advocate in the District Court, the Governor can appoint as District Judge.

या OR

प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर HC के मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमति से राज्यपाल नियुक्त कर सकेगा। appoint a person on the basis of competitive examination with prior permission of the Chief Justice of HC.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला के प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्यो को देखता है। The District and Sessions Judge looks after both the administrative and judicial work of the district.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING